सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 35/16 **निर्णय दिनांकः–3.04.2018**

1. रावताराम पुत्र श्री गोमन्दराम जाति मेघवाल निवासी कांकड़वाला तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणकरनसर।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 04–12–2014
उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर

उपस्थितः
1. श्री नरसाराम जाखड़, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर के निर्णय व डिक्री दिनांक 04–12–2014 के विरुद्व पेश की, जिसके द्वारा वादी/अपीलांट का वाद रिकार्ड व कानून के विपरीत जाकर खारिज फरमा दिया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट ने प्रतिवादी संख्या 1 स्टेट के विरूद्व वाद धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत इस आश्य का प्रस्तुत किया गया कि विवादित भूमि वाके रोही कांकड़वाला

तहसील लूणकरनसर के खेत खसरा नम्बर 129 तादादी 40 बीघा भूमि पर 1987 से आवंटन के आधार पर कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज करवाने हेतु प्रस्तुत किया गया। अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में तमाम वांछित दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये थे। फिर भी अदालत मातहत द्वारा कानून एवं रिकार्ड के विपरीत जाकर उक्त निर्णय व डिक्री पारित किया गया है जिसे निरस्त फरमाया जाकर दावा डिक्री किया जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में आगे बताया कि अपीलांट को उक्त रकबा सवंत् 2043 में आवंटन किया गया था। जिस समय उक्त रकबा आवंटित किया गया था उस समय उक्त क्षेत्र उपनिवेशन क्षेत्र में था तथा तहसीलदार उपनिवेशन, लूणकरनसर द्वारा उक्त रकबा टीसी में आवंटित किया गया था। तभी से वादगत् भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है। एसीसी छत्तरगढ़ मु. बीकानेर द्वारा अपीलांट के आवंटन को दिनांक 19—01—1988 को खारिज कर दिया गया जबकि उक्त रकबा दिनांक 19—01—1988 को राजस्व क्षेत्र में हस्तान्तरित हो चुका था। ऐसी स्थिति में उक्त रकबा एसीसी को खारिज करने का क्षेत्राधिकार नहीं था। इस प्रकार एसीसी छत्तरगढ़ मु. बीकानेर द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आदेश पारित किया गया था। अदालत मातहत द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज करने में कानूनी भूल कारित की है। अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा एवं जवाब दावा के आधार पर जो तनकीयात् कायम की गई थी उन तनकीयात् को अपने दस्तावेजी साक्ष्य से व मौखिक साक्ष्य से साबित किया गया था फिर भी अदालत मातहत ने कानून व रिकार्ड के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया गया है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलांट के वर्ष 1987—88 के आवंटन को एसीसी द्वारा खारिज किया गया है जबकि उक्त दिनांक को एसीसी को आवंटन खारिज करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं था इस महत्वपूर्ण तथ्य को अदालत मातहत द्वारा नजरअंदाज किया गया है। जबकि अपीलांट टीसी में आवंटित भूमि का कब्जे काश्त के आधार पर खातेदार काश्तकार धोषित

करवाने एवं तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करवाने का अधिकारी है। अपीलांट वादगत् भूमि पर पिछले 30 वर्षो से अधिक समय से विधि सम्मत रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं हुआ है तथा ना ही कभी उसे मौके से बेदखल किया गया है। इस प्रकार अपीलांट निरन्त कब्जे काश्त अर्थात एडवर्स पजेशन के आधार पर वादगत् भूमि का खातेदार काश्तकार हो चुका है। लेकिन अदालत मातहत द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है जो किसी भी स्थिति में कायम रखे जाने योग्य नहीं है। अतः अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाते हुए अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने मियांद के संबंध में बताया कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा नहीं दिये जाने के कारण उसे नहीं हो पाई। अपीलांट सर्वप्रथम दिनांक 04—05—2016 को अपने वकील के पास गया और दावे के बारे में जानकारी चाही गई तक अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि तुम्हारा दावा तो काफी समय पहले ही निर्णित हो चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा जानकारी के दिन से अपील अन्दर मियांद प्रस्तुत की गई है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन करते हुए अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री के विरूद्व जिसके द्वारा अपीलांट/वादी का वाद खारिज किया गया है, प्रस्तुत की गई है। अदालत मातहत द्वारा तमाम दस्तावेजों के अवलोकन के पश्चात् की आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अपीलांट को वादगत् भूमि का वर्ष 1987—1988 में एक साला टीसी आवंटन अस्थाई काश्त हेतु दी गई थी। जिस उसी वर्ष सहायक आयुक्त उपनिवेशन के आदेश से खारिज कर दिया गया। अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि के कब्जे काश्त के बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है। अपीलांट को आवंटित भूमि एसीसी द्वारा

सम्वत् 2044 में ही खारिज कर दिया गया था। ऐसी स्थिति में अपीलांट अब इस अपील के माध्यम से कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89 व धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम के तहत दावा पेश किया। अदालत मातहत ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 04—12—2014 जिसके द्वारा अपीलांट/वादी का दावा अदालत मातहत द्वारा संधारण योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया गया है के विरुद्व अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन है कि अपीलांट को वादगत् भूमि ग्राम कांकड़वाला के खसरा नम्बर 129 में 40 बीघा भूमि संवत् 2043—2044 अर्थात वर्ष 1987—1988 में एक साला आवंटन की गई थी। तभी से अपीलांट का वादगत् भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा कब्जे काश्त के आधार पर अपीलांट वादगत् भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित करवाने एवं तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करवाने का अधिकारी है।

(3) हमनें अदालत मातहत की पत्रावली, अपीलाधीन निर्णय व प्रस्तुत दस्तावेजात् का अवलोकन किया। प्रस्तुत मामलें में अपीलांट/वादी द्वारा वादगत् भूमि ग्राम कांकड़वाला के खसरा नम्बर 129 में 40 बीघा भूमि सम्वत् 2043 में टीसी आवंटन व वादगत् भूमि पर कब्जे काश्त के आधार पर खातेदार काश्तकार धोषित करवाने की इस्तदुआ की गई थी। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का दावा इस आधार पर खारिज किया गया है कि

अपीलांट को टीसी में आवंटित भूमि एसीसी द्वारा ही संवत् 2044 में खारिज की जा चुकी थी ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा खारिज शुदा भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित करवाना किसी भी स्थिति में न्यायसंगत व तर्कसंगत नहीं माना जा सकता। अदालत मातहत द्वारा इसी आधार पर अपीलांट का दावा खारिज किया गया है कि मामल टीसी आवंटन का है तथा उक्त टीसी आवंटन एसीसी द्वारा निरस्त किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलांट/वादी इस वाद के जरिये कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

(4) जहॉ तक अपीलांट का कथन की अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व नियमानुसार तनकीयात् कायम नहीं की गई ना ही साक्ष्य व सबूत का कोई अवसर प्रदान किया गया। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि अपीलांट द्वारा न तो अदालत मातहत के समक्ष ना ही न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है जिससे वादगत् भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त साबित हो। जब अपीलांट/वादी को बिना दस्तावेजी साक्ष्यों व कब्जे काश्त के अभाव में वाद प्रस्तुत करने का कॉज ऑफ एक्शन ही हासिल नहीं है ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट/वादी का वाद खारिज करने में कोई त्रूटि कारित नहीं की गई है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 04—12—2014 बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 3.04.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर